सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 05, सोमवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 27, 2025 Kartika 05, Monday, Saka 1947- October 27, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 27, 2025

जी.एस.आर.61 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025 दिनांक 20.08.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 20, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 42 के उप-नियम (2) में

विद्यमान अभिव्यक्ति "लघु स्तर उद्योगों" जहां कहीं भी आयी है, के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3.नियम 75 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 75 के उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "लघु स्तर उद्योगों" जहां कहीं भी आयी है, के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.